राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकः-प. 17(2)प्र.सु./सम./अनु.1/2000   जयपुर, दिनांकः- 15-3-2000

परिपत्र

दिनांक 9.3.2000 को शासन सचिवालय में आयोजित समस्त शासन सचिवों/विभागाध्यक्षों की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आम जनता को संवेदनशील एवं उत्तरदायी प्रशासन उपलब्ध कराने की कटिबद्धता प्रदर्शित करते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित विभिन्न सेवाओं से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की उनके कार्यस्थलों/मुख्यालयों से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट करते हुये अनुपस्थित एवं अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित पटवारियों, आई.एल.आर., ग्राम सेवकों, अध्यापकों, ए०एन०एम०, एम०पी०डब्ल्यू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बिजली-पानी एवं अन्य सेवाओं से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की उनके कार्यस्थलों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु इस विभाग ने आज्ञा संख्या प.6(28)प्र.सु./अनु.3/99 दिनांक 2.7.99 द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की अध्यक्षता में ग्रामीण निरीक्षण समितियां गठित कर कर्मचारियों/अधिकारियों का निरीक्षण करने के अधिकार प्रदान किये हैं। आदेश संख्या प.13(5)प्र.सु./सम./अनु.1/99 दिनांक 2.7.99 द्वारा संभागीय आयुक्तों को, निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण, संभाग के अन्य जिलों में करने के अधिकार दिये गये हैं। आदेश सं. 20(1)प्र.सु./सम./अनु.1/99 दिनांक 14.7.99 द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्यालयों पर निवास करने हेतु पाबंद किया गया है। शासन के ध्यान में आया है कि उक्त आदेशों की क्रियान्विति में शिथिलता बरती जा रही है।

अतः समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टरों का उक्त आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की उनके कार्यस्थलों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं कार्यस्थलों से अनुपस्थित पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध निर्देशानुसार कठोर कार्यवाही करते हुये उनका अन्य जिलों में स्थानान्तरण करने की कार्यवाही करावें।

संभागीय आयुक्तों द्वारा किये गये स्थानान्तरण आदेश संबंधित विभाग द्वारा निरस्त नहीं किये जा सकेंगे। उक्त स्थानान्तरण आदेशों में मंत्रीमण्डलीय उप समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(हरीश नय्यर)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव, मुख्य मंत्री।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव।